Publication Date 01.10.2024
Postal Registration No. G/CHD/0096/2024-26
Registrar of Newspapers of India
Regd. No. 46809/70 I Total Pages 20
Posted at MBU Chandigarh 1st of Every Month

हरियाणा सहकारी प्रकाश

Haryana Sahkari Parkash

वर्ष : 55 | अंक 10 | 01 अक्तूबर, 2024 | वार्षिक मूल्य : 500/- | प्रति कापी : 50/-

5 अक्तूबर, को अपना किमती वोट अवश्य दें।

हरियाणा सहकारी प्रकाश के सुधी पाठकों को
महात्मा गांधी जयन्ती व दशहरा
की हार्दिक शुभकामनाएं !

HARCOFED
Bays No. 49-52, Sector - 2, Panchkula
https://www.harcofed.org.in
harcofed@ymail.com

सम्पादकीय

आजीविका के बेहतर साधन सहकारी उद्यम

सहकारी क्षेत्र नागरिक को आजीविका उपार्जन के साथ सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार प्रदान करता है। आज देश में सबसे अधिक रोजगार सहकारिता क्षेत्र ही दे रहा है। युवाओं को चाहिए कि वे सहकारी क्षेत्र में सहकारी समितियां बना कर फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मशरूम फार्म, मत्स्य पालन, डेयरी व्यवसाय इत्यादि से सम्बन्धित उद्यम स्थापित कर खुद की आजीविका के साथ–साथ उद्यम में अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करें।

प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों के अनेक सफल सहकार अपने कार्य का अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं जो हमारे लिए उदाहरण के रूप में विद्यमान हैं। इसके अतिरिक्त युवा आधुनिक कृशि तकनीक को अपनाकर अपनी आय भी बढ़ा सकते हैं।

सहकारी समितियों के योगदान से देश में श्वेत क्रांति आई, जिससे आज अमूल, वीटा, वेरका, पराग जैसी संस्थाएं देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। हरियाणा में सहकारी डेयरी विकास प्रसंघ लिमिटेड के वीटा ब्रांड के उत्पाद ग्राहकों में अत्यधिक लोकप्रिय बने हुए हैं। डेयरी प्रसंघ द्वारा शुद्धता के प्रतीक वीटा उत्पाद की बिक्री के लिए महत्वपूर्ण स्थानों पर वीटा बूथ खोले हुए हैं। इस से डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा मिलने के साथ ही सहकारों की आय में व्यापक सुधार होता है।

इसी प्रकार हरियाणा राज्य सहकारी आपूर्ति एवं विपणन प्रसंघ लि0 द्वारा सहकारी क्षेत्र में हैफेड ब्रांड के उत्पाद तैयार करके देश व प्रदेश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा है। हैफेड के लोकप्रिय उत्पादों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए बिक्री केन्द्रों की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त देश के एन.सी.आर. और ट्राईसिटी में हैफेड के और अधिक फ्लैगशिप स्टोर खोले जाने पर भी कार्य किया जा रहा है ताकि सहकारी उद्यम को बढ़ावा मिलने के साथ–साथ लोगों को बेहतर उत्पाद उपलब्ध करवाएं जाते रहें। हैफेड के उत्पाद विदेशी ग्राहकों में भी लोकप्रिय हैं।

युवाओं को सहकारी उद्यमिता के मार्फत प्रधानमन्त्री की मेक इन इंडिया योजना के तहत लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देना चाहिए। इससे युवाओं को रोजगार उपलब्ध होने के साथ ही उत्पादक किसानों और वितरकों का समान रूप से भला होगा मिलावटखोरों, बिचौलियों व जमाखोरों से मुक्ति मिलेगी और पूरे देशभर में खाद्य सामग्री एक समान मूल्य पर उपलब्ध हो सकेगी।

हरियाणा सहकारी प्रकाश

मुख्य संरक्षक
अंकुर गुप्ता, भा.प्र.से.
अतिरिक्त मुख्य सचिव,
सहकारिता विभाग, हरियाणा

मुख्य सम्पादक
सुमन बल्हारा
प्रबन्ध निदेशक, हरकोफैड

सम्पादक
सौरव शर्मा

सुविचार

"जब तक जीना, तब तक सीखना"
अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।
–स्वामी विवेकानन्द

'हरियाणा सहकारी प्रकाश' में प्रकाशित लेखकों के विचारों के साथ हरकोफैड का सहमत होना आवश्यक नहीं है। यह लेखकों के अपने विचार हैं।

हरियाणा सहकारी प्रकाश की विज्ञापन दरें :–

क्र.सं.	विवरण प्रति प्रकाशन	रुपये
1.	पूरा पृष्ठ टाईटल रंगीन	30000/-
2.	पूरा पृष्ठ रंगीन	20000/-
3.	पूरा पृष्ठ श्याम–श्वेत	12000/-
4.	आधा पृष्ठ श्याम–श्वेत	6000/-

इस अंक में पढ़िए

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का पुनर्गठन 4-9

स्वदेशी आंदोलन 10

इस प्रकाश पर्व पर लें नेत्रदान करने का संकल्प 11-12

हरकोफैड द्वारा सदस्य जागरूकता कार्यक्रमों 13

फसल उत्पादन में लेखा -जोखा का महत्व 14-15

सहकारी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट 15

खेत दिवस कार्यक्रम, गाँव कुलां, टोहाना 16

किसान दिवस कार्यक्रम की रिपोर्ट 16

विवेकानन्द के 'राष्ट्र निर्माण' पर विचार 17

मिश्रित मोटे अनाज पर आधारित पारंपरिक एवं पौष्टिक व्यंजन 18

विज्ञापन 19

E-MAIL
harcofed@ymail.com
harcopress@gmail.com

Website
https://www.harcofed.org.in

प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का पुनर्गठन

हरियाणा की अधिकतर जन–सख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि तथा इससे सम्बन्धित कार्यों पर निर्भर करती है। कृषि प्रधान राज्य होने के कारण यहां की सरकार तथा शासनतंत्र कृषि कार्यों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से ऋण उपलब्ध करवाने की सम्भावनाओं पर निरन्तर दृष्टि बनाए रहता है। पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधन जुटा कर रही ग्रामीण क्षेत्रों का विकास सम्भव है। इस कार्य के लिए प्राथमिक स्वर पर कृषि सहकारी ऋण समितियों का सबल एवं सुसंगठित होना अति आवश्यक है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निणर्य लेकर उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों का पुनर्गठित करने की योजना बनाई है।

1. वर्तमान परिदृश्य :- इस समय हरियाणा में 2433 प्राथमिक सहकारी ऋण समितियां तथा 70 विपणन एवं प्रसाधन समितियां कार्यरत हैं जो किसानों की ऋण तथा विपणन सम्बन्धी आवश्यकताअें को पूरा करती है। प्रदेश में वर्तमान में सहकारी ऋण समितियों का तीन तलीय तथा सहकारी विपणन समितियों को दो तलीय ढ़ांचा है। ज्यादातर ऋण सहकारी समितियों उनके छोटे आकार तथा कम कारोबार के कारण अच्छी वित्तीय स्थिति में नहीं है। इन समितियों की कारोबारी लागत भी अधिक रहती है। इसके साथ ही ये समितियां वित्तीय असंतुलन, कोषों का दुरूपयोग, अकुशलता, अत्यधिक असंतुलन, कोषों को दुरूपयोग, अकुशलता, अत्यधिक अतिदेय व वाणिज्यिक बैंकों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा के दृष्टिगत विभिन्न समस्याओं से जूझ रही है। समितियों में आई इन कमियों के कारण लोगों का इन समितियों में विश्वास कम हुआ है तथा लोगों की भागीदारी भी इन समितियों में घटी है। इतना ही नहीं समितियां का कम व्यापर तथा छोटी आकार होने के कारण ये समितियों अपने ब्याज दर को कम नहीं कर पा रही हैं। क्योंकि इनका ऋण वितरण का मार्जिन शीर्ष स्तर से प्राथमिक स्तर तक तीन जगह विभाजित होता है। ये समितियां अपने उद्देश्य को पूरा करने में पूर्णतया सफल नहीं हो पा रही हैं।

दूसरी ओर कृषि उपज के विपणन तथा प्रसाधन सम्बन्धी कार्य में लगी प्रदेश की सहकरी क्षेत्र की 70 समितियां लगातार दुर्बल वित्तीय स्थिति में चल रही है इन समितियों में विपणन तथा प्रसाधन का कार्य बहुत कम मात्रा में हो रहा है जिसके कारण ये समितियों अपने उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही है जिनके लिए इनका गठन किया गया था। इन समितियों को पुनर्गठित किए जाने की काफी समय से आवश्यकता अनुभव की जा रही है।

वर्तमान में आढ़ती तथा साहूकार कृषि क्षेत्र की लगभग 60 प्रतिशत आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं और कृषि उपज का लगभग 90 प्रतिशत विपणन व प्रसाधन निजी व्यापारियों के माध्यम से किया जा रहा है। सहकारी समितियों द्वारा यह कार्य नगण्य के बराबर किया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को निजी व्यापारियों द्वारा अन्य सेवाएं तथा ऋण इस शर्त के साथ दिए जाते हैं कि वे अपनी सारी कृषि उपज उन्ही की दुकान पर बेचेगें। किसानों का भी इन आढ़तियों व निजी व्यापारियों में विश्वास सहकारी समितियों से अधिक है क्योंकि सहकारी समितियां अपनी आर्थिक कमजोर के कारण कई बार समय पर वांछित सेवा उपलब्ध नही करा पाती। उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत प्राथमिक सहकारी ऋण समितियों तथा सहकारी विपणन समितियों का विलय करके प्राथमिक सहकारी कृषि ऋण समितियों को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया है।

2. सहकारिताओं की प्रासंगिकता एवं उपादेयता :

क. वर्तमान परिस्थिति के दृष्टिगत दो मौलिक प्रश्न सामने दिखाई देते है। पहला – क्या सहकारिताएं निजी कम्पनियों तथा वाणिज्यिक बैकों जैसे सक्षम खिलाड़ियों के ग्रामीण क्षेत्र में पदार्पण करने से अपनी प्रासंगिकता तथा उपादेयता खो चुकी हैं या सहकारिताओं की अभी भी हमें आवश्यकता हैं ?

दूसरे – क्या सरकार ने कृषि समुदाय की आवश्यकताओं को सहकारिता तथा अन्य संस्थाओं के माध्यम से पूरा करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है ? किसान अपनी उपज के विपणन के लिए

सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना पर निर्भर रहता है। क्या हमें इसी प्रणाली पर निर्भर रहना चाहिए या इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता है ?

ख. निजी कम्पानियों द्वारा खुला व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत कृषि उपज के कारोबार में किसानों के शोषण का अत्याधिक अंदेशा रहता है जो इस प्रणाली की कमी है। निजी व्यापारियों तथा अन्य बिचौलियों द्वारा उत्पादकों से 85 प्रतिशत तक लाभ लिया जाता है। अतः उपभोक्ताओं का हित संरक्षित करने की आवश्यकता है। सहकारिताएं इस दिशा में सर्वश्रेष्ठ माध्यम हो सकती हैं।

ग – सरकार द्वारा यह कार्य करने से किसान कृषि ऋण को सरकारी अनुदान समझ लेते है। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना को लागू करने के लिए सरकार प्रत्येक वर्ष 25 हजार करोड़ रूपये व्यय करती है। क्या सरकार को यह योजना चालू रखनी चाहिए ? शायद यह ज्यादा देर तक चल न पाएं।

घ – अतः किसानों को सहकारी संस्थाओं के रूप में बने संगठनों के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है। सहकारी संस्थाओं ने अपनी उपयोगिता तथा प्रासंगिकता, थाईलैंड, श्रीलंबा, चीन, जापान आदि देशों में सिद्ध कर दी है। हमारे देश में ये संस्थाएं महाराष्ट्र, गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, केरल आदि प्रदेशों में श्रेष्ठ कार्य कर रहीं है।

3. पुनर्गठन की आवश्यकता :

क. उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के कारण खुले बाजार की व्यवस्था के कारण प्रतिस्पर्धा का माहौल उत्पन्न हो गया है। भारत पहले ही विश्व व्यापार संस्था के अन्तर्गत कृषि सम्बन्धी समझौते पर हस्ताक्षर कर चुका है। इस लिए सहकारिताओं को प्रतिस्पर्धा में आना होगा। उन्हें काम करना होगा या उन्हें खत्म होना पड़ेगा। सहकारिताएं आज के परिदृश्य में जबकि किसानों को मार्केट में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है उन्हें उपयुक्त फोरम उपलब्ध करवाने के लिए सहकारिताएं ओर अधिक प्रासंगिक हो गई है।

ख – वर्तमान में सहकारिताओं का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है ताकि वे ग्रामीण अंचलों में कृषि क्षेत्र की आवश्यकताओं जिनमें कृषि ऋण, कृषि निवेश तथा तकनीकी जानकारी विपणन व प्रसाधन आदि सेवाओं सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

ग – सहकारी समिति के आकार, भूमिका तथा कारोबार में बढ़ोतरी की आवश्यकता है ताकि हवे वित्तीय, व्यवसायिक, कुशलता तथा बढ़िया प्रबन्धन की दृष्टि से सक्षम हो सकें। सहकारी ऋण समितियों तथा विपणन समितियों को मिला कर बड़े आकार तथा बहु उद्देशीय कृषि सहकारी समिति के गठन की आवश्यकता है। नई समिति का नाम प्राथमिक कृषि सहकारी समिति (पैक्स) रखा जा रहा है तथा इस समिति का कारोबार 5.00 करोड़ रूपये से अधिक होगा तथा इसका कार्यक्षेत्र 4 से 5 मिनी बैंक या 10 से 15 गांव होगें।

घ – सहकारी ऋण एवं विपणन समितियों को अपना कारोबार, ढ़ांचा तथा स्टाफ मिलाने होंगे ताकि खर्च में कमी करके संस्था के हित के लिए कारोबार में प्रयोग किए जा सकें। एक सुदृढ़ सहकारी समिति जो कि किसानों की संस्था के रूप में काम करती है अपनी सुदृढ़ता के कारण बढ़िया सौदेबाजी कर सकती है तथा मार्केट में कार्यरत निजी कम्पनियों से अलग–अलग की बजाय संगठित रूप में बेहतरीन सोदैबाजी करेगीं।

4. प्रस्तावित समिति की कार्यविधि तथा उद्देश :

प्रस्तावित समिति ग्रामीण समुदा को कृषि तथा गैर कृषि ऋण, कृषि निवेश, तकनीकी जानकारी तथा सेवाएं, कृषि उत्पादों की ग्रेडिंग, पैकिंग, प्रसाधन तथा विपणन सम्बन्धी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाने का काम करेगी। यह ऊपर के तलों सम्बन्धी संस्थाओं के एजैन्ट तथा सूत्रधार के रूप में काम करते हुए अपने सदस्यों को आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करवाएंगीं। यह सदस्यों द्वारा प्रजातांत्रिक ढ़ंग से नियन्त्रित की जाएगीं। इस समिति का यह लक्ष्य होगा कि यह आढ़तियों तथा अन्य बिचौलियों का स्थान ले लेगीं। ऋण को विपणन के साथ जोड़ दिया जाएगा। सदस्य अपनी उपज को समिति के माध्यक से बेचेंगें। यह मूलतः ऋण समिति होगी जो मार्केटिंग समिति के विलय के कारण विपणन तथा प्रसाधन के कार्य भी करेगी। यह सहकारी ऋण ढ़ांचे के तीसरे तल के रूप में काम करती रहेगी। वर्तमान स्टाफकी छटनी नहीं की जाएगी तथा किसानों को उनके घर द्वारा पर दी जा रही सुविधाओं में किसी तरह की कमी नहीं आएगी।

5. प्रस्तावित संगठन :

क. प्रस्तावित कृषि सहकारी समिति 10 से 15 किलोमीटर के क्षेत्र को

सेवाएं देगी। वर्तमान में संचार के बढ़िया साधनों के कारण किसानों तथा काश्तकारों को सेवाएं प्राप्त करने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति का मुख्यालय केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा या मार्केटिंग समिति का होगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि किस स्थान पर बढ़िया कार्यालय तथा अन्य क्षेत्र के गाँवों से सरल सम्पर्क हो सकता है। वर्तमान मिनी बैंक, कार्यालय स्तर पर इस समिति की उप–इकाई रहेगी जिसके द्वारा कृषि निवेश किसानों को उनके घर द्वारा पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। वर्तमान में 2433 मिनी बैंक कार्यरत हैं। इन समितियों को 70 मार्केटिंग समितियों के साथ मिला कर 600 समितियां बनाई जाएगी।

ख – प्रस्तावित कृषि सहकारी समिति समतल, वर्टीकल, आधार पर जिला तथा राज्य स्तरीय संस्थाओं से समन्वय रखेगी। इसे सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक से ऋण आवश्यकताओं के लिए जोड़ा जाएगा तथा हैफेड से विपणन व प्रसाधन सुविधाओं के लिए सम्बन्धित किया जाएगा। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के निदेशक, केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा हैफेड के निदेशक मण्डल में निर्धारित जोन के आधार पर समिति का प्रतिनिधित्व करेंगे। केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा हैफेड के निदेशक मण्डल के चुनाव हेतु प्राथमिक समिति के निदेशकों के चयन के लिए जिले को जोन्ज में विभाजित किया जाएगा। केन्द्रीय सहकारी बैंक अपने निदेशकों को हरको बैंक के बोर्ड में प्रतिनिधित्व के लिए भेजेगें। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के ऋण सम्बन्धी कार्यों का दायित्व केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा हरको बैंक का होगा जब कि विपणन सम्बन्धी कार्यों का दायित्व हैफेड का होगा। केन्द्रीय सहकारी बैंकों की शाखाएं इन समितियों में ही स्थापित होंगी। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां हैफेड के एजैन्ट के रूप में कार्य करेंगी।

6. प्रबन्धन व निर्देशन :-

पांच सदस्यों का प्रबन्धन बोर्ड होगा। अनुसूचित जाति का एक प्रतिनिधि तथा एक महिला को बोर्ड में नामजद किया जाएगा यदि व चुनाव के माध्यम से न आए। सम्बन्धित केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रबन्ध निदेशक तथा हैफेड के जिला प्रबन्धक बोर्ड में विशेषज्ञ के रूप में होंगे लेकिन उनको मत का अधिकार नहीं होगा।

वे प्रबन्धक कमेटी की सहकारिता सम्बन्धी काम–काज तथा प्रबन्धन में सहायता तथा मार्ग–दर्शन करेंगे। समिति का एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा जिसकी नियुक्ति समिति द्वारा ही की जाएगी व समिति के बोर्ड में भी वह सदस्य होगा। समिति का मुख्य कार्यकारी व्यवसायी होगा जिसकी योग्यता एम.बी.ए. वित्त या मार्केटिंग या बी.कोम या सहकारी विपणन से सम्बन्धित कोई अन्य निर्धारित योग्यता वाला होगा। दो या तीन अन्य कृषि मार्केटिंग तथा क्रैडिट सम्बन्धी योग्य व्यक्ति भी समिति में नियुक्त किए जाएंगे ताकि वे तकनीकी निवेश उपलब्ध करवा सकें। इसके अतिरिक्त अन्य सहायक स्टाफ भी समिति में रखा जाएगा।

प्रस्तावित समिति में मिनी बैंक के वर्तमान स्टाफ जैसे लिपिक, सैल्जमैन, सेवक तथा मार्केटिंग समिति के स्टाफ को भी समायोजित किया जाएगा। शाखाओं की संख्या इसी हिसाब से बढ़ाई जाएगी। इस तरह मिनी बैंकों के सचिव भी केन्द्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं में समायोजित किए जाएगें। मार्केटिंग समितियों में कार्यरत हैफेड के कामन कैडर के कर्मचारी हैफेड के साथ ही रहेंगे जब तक कि वे प्राथमिक कृषि सहकारी समिति में समायोजित होना न चाहें या वे अधिकतम दो वर्ष तक समिति के साथ प्रतिनियुक्ति पर रह सकते हैं। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वर्तमान स्टाफ को निकाला न जाए। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के मुख्य कार्यकारी तथा स्टाफ की योग्यताएं रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित की जाएंगी तथा इन का वर्णन समिति के उपनियमों में किया जाएगा। समिति का सारा स्टाफ मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नियंत्रण में काम करेगा जो अपने कार्य के लिए निदेशक मण्डल को जवाबदेह होगा। निदेशक मण्डल या प्रबन्ध कमेटी के पास इस सम्बन्ध में अन्तिम शक्ति होगी। नियुक्ति का तरीका तथा ढ़ंग समिति के उपनियमों में दिया जाएगा। हैफेड तथा केन्द्रीय सहकारी बैंकों का कामन कैडर खत्म कर दिया जाएगा।

7. वित्तीय प्रबन्ध : प्रस्तावित समिति हिस्सा पूंजी जिसमें सरकारी हिस्सा पूंजी भी शामिल है, सदस्य शुल्क, सदस्यों की अमानतें, अनुदान तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से उधार आदि लेकर वित्तीय साधन जुटाएगी। समितियों के मिलान की

स्थिति में सभी समितियों के सभी तरह के कोष, हिस्सा–पूंजी, कार्यशील–पूंजी अमानतें, लाभ तथा हानियां, देन–दारियां प्रस्तावित समिति में स्थानान्त्रित होंगी। समिति व्यापारिक संस्था के रूप में काम करेगी ताकि लाभ कमाया जा सके। इससे सुरक्षित निधियां बनाई जाएंगी। समिति के उपनियमों में इस बात का प्रावधान किया जाएगा कि समिति समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार सरकार की हिस्सा–पूंजी वापस कर सकें।

8. प्रस्तावित समिति के कार्य

:- समिति मूलत : निम्नलिखित मुख्य कार्य करेगी :–

क – वित्तीय सेवाएं
ख – उत्पादन सेवाएं
ग – ग्रेडिंग, पैकिंग, भण्डारण तथा विपणन सेवाएं
घ – उपभोक्ता सेवाएं
ड़ – कल्याणकारी सेवाएं

क – वित्तीय सेवाएं :

1. समिति किसानों, काश्तकारों तथा अन्य भूमिहीन व्यक्तियों को अपने काम–काज के लिए कृषि ऋण उपलब्ध करवाएगी। कृषि ऋण के साथ–साथ समिति अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग के छोटे उद्यमियों जैसे दस्तकारों को अन्य गतिविधियों के लिए भी ऋण उपलब्ध करवाएगी। सभी तरह के ऋण, उत्पादों की बिक्री के साथ जोड़े जाएंगे। समिति उधार लेने वाले सदस्यों की बढ़ोतरी के लिए प्रयास करेगी तथा बिना उधार लेने वाले सदस्यों को भी अपने काम–काज में जोड़ने का प्रयास करेगी ताकि समिति का कारोबार बढ़े। समिति द्वारा ब्याज दर वाणिज्यिक बैंकों के बराबर किए जाने का प्रयास किया जाएगा।

2. प्रस्तावित समिति ऋण बांटने के साथ–साथ सदस्यों से अमानते लेने का प्रयास करेगी। इसके साथ ही गैर ऋण सेवाएं भी उपलब्ध करवाएगी व विपणन के लिए ऋण व उपभोक्ता सेवाएं भी प्रदान करेगी। इसके साथ ही गैर ऋण सेवाएं भी उपलब्ध करवाएगी व विपणन के लिए ऋण व उपभोक्ता सेवाएं भी प्रदान करेगी जिसमें कृषि औज़ार तथा अन्य सभी तरह के ऋण उपलब्ध करवा कर सदस्यों की साहूकारों तथा आढ़तियों पर निर्भरता कम करेगी। समिति की सफलता तथा बढ़ोतरी के लिए यह अपनी ढ़ांचागत सुविधाएं जैसे कांउटर तथा अन्य सेवाएं बेहतर करके गारंटी बीमा योजना लागू की जाएगी ताकि अमानतदाताओं का विश्वास बढ़ सके।

3. समिति की वित्तीय सुढ़ढ़ता के लिए सदस्यों में बचत की भावना को प्रोत्साहित किया जाएगा। बचत से अभिप्राय: केवल बचत नहीं है बल्कि फिजूल खर्ची को कम करके धन राशि बचाना है। इससे स्वत: ही धन में वृद्धि होगी जिसे समिति के कारोबार में खर्च किया जाएगा तथा समिति की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी।

ख - उत्पादन सेवाएं :

1. प्रस्तावित समिति किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक दवाईयां, पशु आहार आदि सभी तरह के कृषि निवेश उवलब्ध करवाएगी।

2. यदि किसान के पास सभी तरह के कृषि औज़ार तथा मशीनरी हैं तो उसकी कार्यक्षमता तथा उत्पादकता में वृद्धि होगी। कुछ ऐसे कृषि औज़ार होते हैं जैसे कम्वाईन, टैक्टर, हारवैस्टर आदि जिन्हें छोटा किसान खरीद नहीं सकता तथा कुछ औज़ारों जिनमें छिड़काव पम्प आदि है, का इस्तेमाल वर्ष में एक दो बार होता है। इन औज़ारों तथा मशीनरी को समिति खरीद कर अपने सदस्यों को इस्तेमाल के लिए किराये पर उपलब्ध करवाएगी।

3. कृषि की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण आवश्यकता तकनीकी जानकारी सेवाओं की उपलब्धता है। समिति में तकनीकी स्टाफ, तकनीकी जानकारी उपलब्ध करवाएगा। सदस्यों की भलाई के लिए कृषि–विभाग तथा कृषि–विश्वविद्यालय द्वारा तकनीकी जानकारी दी जाएगी।

ग - ग्रेडिंग, पैकिंग, भण्डारण तथा विपणन सेवाएं :

1. किसान अपनी उपज बढ़ाने के लिए तभी प्रोत्साहित होता है यदि उसकी कृषि उपज के बढ़िया दाम मिलें। इस उद्देश्य के लिए प्रस्तावित समिति अपने सदस्यों की कृषि उपज की खरीद का उपयुक्त प्रबन्ध करेगी। सदस्यों के लिए भी यह जरूरी होगा कि वे अपनी कृषि उपज समिति के माध्यम से ही बेचें। इसके लिए आवश्यक ढ़ांचागत सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा। हैफेड, समिति की ढ़ांचागत सुविधाओं के निर्माण में मदद करेगी। समिति कृषि वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य सम्बन्धी स्कीम के अर्न्गत खाद के लिए हैफेड, नैफेड, भारतीय खाद्य निगम, इफको तथा कृभकों की एजेन्सी के रूप में काम करेगी।

2. समिति अपने सदस्यों की उपज का भण्डारण करने का यथासम्भव प्रयास करेगी। भण्डारण

की सुविधा जहां समिति के पास उपलब्ध नहीं होगी वहां हैफेड द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। मिनी बैंकों विपणन समितियों के वर्तमान गोदाम इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे।

3. समिति कृषि उपज की ग्रेडिंग व पैकिंग के लिए सुविधाएं तैयार करेंगी। ये समितियां क्षेत्र की मुख्य फसल के अनुरूप धान, आयलसीड, कपास, मिर्च, हल्दी, फल तथा सब्जियां आदि के प्रसाधन सम्बन्धी सुविधाएं भी निर्मित करेंगी।

4. प्रस्तावित समिति सदस्यों की कृषि उपज का विपणन सुनिश्चिम करेगी। यह कार्य वह प्रत्यक्ष या हैफेड, नैफेड, भारतीय खाद्य निगम, इफको तथा कृभको आदि एजेन्सियों के माध्यम से भी कर सकती है ताकि उनके उत्पादों की कीमत में बढ़ोतरी हो। इसके साथ ही समिति बाजार की जानकारी तथा निर्यात सम्बन्धी कार्य के लिए हैफेड, नैफेड जैसी शीर्ष संस्थाओं से सहायता लेगीं।

5. इन समितियों में ग्रैडिंग, वर्गीकरण, पैकिंग तथा प्रसाधन सम्बन्धी सुविधाओं के लिए कार्य योजना तैयार करने का दायित्व हैफेड का होगा। हैफेड, समिति सदस्यों के कृषि उत्पादों राज्य से बाहर बेचने का प्रबन्ध करेगा। इस का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादों की कीमत बढ़ा कर उन्हें अधिकाधिक लाभ देना है।

घ : उपभोक्ता सेवाएं :

प्रस्तावित समिति अपने सदस्यों को अन्य उपभोक्ता सेवाएं भी उपलब्ध करवाएंगी ताकि समिति का कारोबारी लाभ बढ़ सके। इन उपभोक्ता सेवाओं में उपभोक्ता भण्डारों की स्थापना, रिपेयर दुकानों का खोलना, कार्यशालाएं तथा डीजल बिक्री केन्द्रों की स्थापना मुख्य है।

ड़ : कल्याणकारी सेवाएं

सदस्यों को समिति से भावनात्मक रूप से जोड़ने व उनमें अपनात्व की भावना पैदा करने के लिए समिति, स्वास्थ्य, शिक्षा,स्वच्छता, मनोरंजन तथा अन्य कल्याणकारी कार्यक्रम भी चलाएगी। सहकारिता बढ़िया रहन–सहन के लिए भी उतनी ही आवश्यक है जितनी सदस्यों की मानसिक, अध्यात्मिक व कलात्मक आवश्यकताओं को पूरा करना भी है। केवल भौतिक प्रगति पर्याप्त नहीं होगी यदि आत्मनिर्भरता सम्बन्धी दायित्व तथा नागरिकता के विकास के लिए शैक्षणिक प्रगति सम्भव न हो पाए।

9. योजना के लागू करने से पूर्व के कार्यकलाप :

क - सदस्यों की भागीदारी :-

प्रस्तावित समिति की सफलता सदस्यों की भागीदारी तथा उनकी सक्रियता पर निर्भर करेगी। लोगों को यह कार्यक्रम अपने कार्यक्रम के रूप में अपनाना होगा न कि सरकार द्वारा थोपे गए कार्यक्रम के रूप में। इस लिए सदस्यों की भागीदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। प्रस्तावित प्रणाली के फायदों को सदस्यों को समझना चाहिए। वर्तमान में विपणन के विभिन्न कार्यों जैसे खरीद, भण्डारण, वित्तीय साधन, बीमा, ढुलाई तथा बिक्री का कार्य बिचौलियां द्वारा किया जाता है। उनका दाम उन द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही सेवाओं से कहीं अधिक होता है। फलस्वरूप उत्पादक छला हुआ महसूस करता है तथा उसे लाभ का पूरा हिस्सा प्राप्त नहीं होता है। नई प्रणाली के अन्तर्गत उत्पादक को मिलने वाली तथा उपभोक्ता को देने वाली कीमतों में अन्तर कम होगा तथा यह जानकारी लोगों तक पहुंचानी होगी।

ख - सदस्यों को शिक्षित एवं जागरूक बनाना :

सहकारिता विभाग तथा शीर्ष संस्थाओं द्वारा एक अभियान चला कर सदस्यों को जागरूक व शिक्षित किया जाएगा। कार्यशालाएं तथा विचार–गोष्ठियों का आयोजन निरन्तर करना होगा। निर्वाचित प्रतिनिधियों को सहकारी समिति के प्रबन्धन सम्बन्धीं उपर्युक्त प्रशिक्षण दिया जएगा जैसे सहकारी सिद्धांत, कृषि विपणन, सहकारी व्यापार तथा विपणन में नए रूझान आदि मुख्य हैं। सदस्यों को स्वयं सहायता, आपसी सहायता तथा स्वःदायित्व बारे जागरूक करने की आवश्यकता है।

ग - प्रसंघों व शीर्ष संस्थाओं की भूमिका :

1. कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए तथा इसके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए हैफेड, हरकोबैंक, हरकोफैड जैसी शीर्ष संस्थाओं का विशेष महत्व है। यह आमतौर पर देखा गया है कि शीर्ष संस्थाएं अपने फायदे के लिए काम करती हैं तथा कई बार तो यह अपना फायदा प्राथमिक समितियों को घाटा पहुंचा कर भी करती हैं। यह मुश्किल से शीर्ष समिति व प्राथमिक समिति में कोई समेकित सम्बन्ध है। शीर्ष संस्थाएं अर्जित लाभ को प्राथमिक सदस्यों में नहीं बांटती। ये शीर्ष संस्थाएं व्यापारिक घरानों की तरह

काम करती हैं।

2. कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए हैफेड को प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के लिए विपणन नीति तैयार करनी होगी। कृषि उपज की खरीद, भण्डारण, गैडिंग तथा पैकिंग सुविधाओं तथा कृषि उपज की प्रसाधन सुविधाओं व बिक्री के लिए समिति को हैफेड द्वारा आवश्यक सहायता, मार्ग–दर्शन तथा ढ़ांचागत सुविधाएं प्रदान करनी होंगी। हैफेड को उन समितियों को आवश्यक तकनीकी जानकारी तथा परामर्श भी देना होगा।

3. हरकोबैं इन समितियों के लिए वित्तीय संस्था के रूप में काम करेगा। यह हरकोबैंक का दायित्व होगा कि वह केन्द्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से तथा उनकी शाखाओं के माध्यम से ऋण सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। ये समितियां वर्तमान समितियों की तरह ही केन्द्रीय सहकारी बैंकों की प्राथमिक सदस्य बनी रहेंगी। केन्द्रीय सहकारी बैंक की शाखा समिति प्रांगण में ही स्थित होगी। हरकोबैंक इन समितियों का लेखा–जोखा रखने तथा वित्तीय प्रबन्धन के लिए आवश्यक सहायता तथा मार्ग–दर्शन उपलब्ध करवाएगा।

4. हरकोफैड इस योजना के लाभ के बारे सदस्यों को शिक्षित तथा जागरूक करने में महत्व पूर्ण भूमिका निभाएगी। यह सदस्यों तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों की भागीदारी तथा प्रशिक्षण के लिए प्रचार तथा प्रसार के लिये अभियान चलाएगी।

घ - प्रस्तावित समिति के उपनियम : प्रस्तावित प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के उपनियमों को ध्यानपूर्वक तैयार किया जाएगा। सदस्यों तथा उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों को समिति के प्रबन्धन में लोकतांत्रिक आधार पर जिम्मेदारी व जवाबदेही दी जाएगी।

10. क्रियान्वयन की विधि :

इस योजना को लागू करने के लिए उपयुक्त क्रियाविधि तथा समयसारणी तैयार की जाएगी तथा प्रत्येक गतिविधि तथा उसके क्रियान्वयन का समय निर्धारित किया जाएगा। अतः निम्नलिखित क्रियाविधि एवं समयसारणी प्रस्तावित की गई है। रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां इस योजना को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए अधिकृत होंगे :–

क्र. स.	गतिविधियां	समय	कार्य दायित्व
1.	सहकारिता विभाग, सहकारी बैंकों तथा हैफेड के अधिकारियों व कर्मचारियों को विचार–गोष्ठियों, कार्यशालाओं तथा प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जानकारी देना :	एक माह	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, प्रबन्ध निदेशक, हैफेड तथा प्रबन्ध निदेशक, हरकोबैंक
2.	प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों व किसानों को कैम्प वर्कशाप तथा विचार–गोष्ठियां आयोजित करके जागरूक प्रशिक्षित तथा शिक्षण प्रदान करना	एक माह	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां की देख–रेख में हरकोफैड द्वारा
3. क	समिति के आदर्श उपनियम तथा एक तथा कर्मचारियों के सेवा नियम बनाना :	एक माह	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, प्रबन्ध निदेशक, हरकोबैंक, प्रबन्ध निदेशक, हैफेड
– ख	प्राथमिक समितियों के मुख्यालयों की पहचान करना :		रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां
– ग	प्राथमिक समितियों मार्केटिंग समितियों का मिलान, आम सभा की बैठक बुलाना, प्रस्ताव पास करना, सम्पत्तियों व दायित्वों लेखा–जोखा तथा बैलेंसशीट का निपटारा	दो माह	प्रबन्ध निदेशक, हैफेड हरकोबैंक तथा सभी सम्बन्धित सहकारी बैंक
– घ	स्टाफ की नियुक्ति तथा समिति का काम आरम्भ करना	एक माह	
4	केन्द्रीय सहकारी बैंकों की आवश्यकता अनुसार शाखाएं खोलना	एक माह	प्रबन्धक निदेशक, सभी केन्द्रीय सहकारी बैंक
	कुल समय	छः माह	

स्वदेशी आंदोलन

-योगेश शर्मा, प्रबन्ध निदेशक, हाउसफैड
मो. 9467523666

प्रारंभ में स्वदेशी का विचार दादाभाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे और बिपिन चंद्र पाल जैसे शुरुआती राष्ट्रवादियों के लेखन में परिलक्षित हुआ, जो औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के खिलाफ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की रक्षा में खड़े थे। स्वदेशी आंदोलन ने बंगाल के विभाजन, 1905 के बाद जन स्वरूप को ग्रहण किया। जो स्वदेशी और स्वराज के लाभकारी उद्देश्य के रूप में था। बंगाल के विभाजन ने पूरे देश में व्यापक आक्रोश पैदा किया। इस तनावपूर्ण माहौल में लोगों ने विदेशी वस्तुओं और ब्रिटिश संस्थानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और इस तरह स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ऐतिहासिक रूप से स्वदेशी को अन्य श्रेणियों जैसे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्र और संस्कृति से जोड़ा गया था। स्वदेशी का शाब्दिक अर्थ है स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देना। स्वदेशी के साथ, ब्रिटिश सामानों के बहिष्कार का आयोजन किया गया था। स्वदेशी और बहिष्कार विदेशी शासन के खिलाफ निर्देशित शक्तिशाली उपकरण थे। जनता के साथ राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश शासन पर हमला करना चाहा, जहां यह उन्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाएगा। स्वदेशी के बारे में लाजपत राय ने कहा, ''मैं इसे अपने देश के उद्धार के रूप में मानता हूं। स्वदेशी आंदोलन ने हमें सिखाया है कि हमारी पूंजी, संसाधनों, श्रम, ऊर्जा, प्रतिभाओं को व्यवस्थित करने के लिए कैसे सभी भारतीयों की सबसे बड़ी भलाई के लिए पंथ, रंग या जाति की परवाह किए बिना हम ऐसा कर सकते हैं। यह हमें, हमारे धार्मिक और सम्प्रदायगत मतभेदों के बावजूद एकजुट करता है।

1909 के गाँधी के हिंद स्वराज में, स्वराज, सत्याग्रह और स्वदेशी प्रमुख सिद्धांत हैं। स्वराज साकार करने के लिए, गाँधी जी का मानना था कि स्वदेशी का आदर्श हर मायने में आवश्यक था। गाँधी जी ने स्वदेशी का एक नया रुप बनाया, जिसने ष्खादीष के उत्पादन और विशेष खपत को प्रोत्साहित किया। गाँधी जी का स्वदेशी उपभोक्ताओं के लिए एक आहवान है कि वे उन विनाशों से अवगत हों, जो उन उद्योगों का समर्थन करते हैं जो गरीबी, श्रमिकों को नुकसान पहुंचाने और मनुष्यों और अन्य प्राणियों के लिए नुकसानदेह हैं। भारतीय राष्ट्रवादियों का मानना था कि भारत के आर्थिक संकट का कारण पूरी तरह से ब्रिटिश उपनिवेश था। स्वदेशी ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करने और भारतीय वस्तुओं को खरीदने के लिए एक राष्ट्रवादी आंदोलन था।

ऐतिहासिक रुप से, भारतीय स्थानीय अर्थव्यवस्था सबसे अधिक उत्पादक और टिकाऊ कृषि और बागवानी और मिट्टी के बर्तनों, फर्नीचर बनाने, धातु के काम, गहने, चमड़े के काम और कई अन्य आर्थिक गतिविधियों पर निर्भर थी। लेकिन इसका आधार पारंपरिक रुप से वस्त्रों में था। प्रत्येक गांव में अपने स्पिनर, कार्डर्स, खरीदार और बुनकर थे जो गांव की अर्थव्यवस्था के दिल थे। हालांकि, जब भारत लंकाशायर (इंग्लैंड) से मशीन – निर्मित, सस्ती, बड़े पैमाने पर उत्पादित वस्त्रों से भर गया था, तो स्थानीय कपड़ा कलाकारों को तेजी से व्यवसाय से बाहर कर दिया गया था, और गांव की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान हुआ था। गांधी जी ने यह जरुरी समझा कि उद्योग को बहाल किया जाए, और ब्रिटिश कपड़े की आमद को रोकने के लिए अभियान शुरु किया। उनके प्रयासों के कारण, अनेक भारतीय इंग्लैंड से निर्मित कपड़ों को त्यागने के लिए एक साथ हो गए और अपने स्वयं के सूत कातने और अपना कपड़ा बुनना सीखा। चरखा आर्थिक स्वतंत्रता और एकजुटता और वर्गहीन समुदायों का प्रतीक बन गया। घर में बनाए गए कपड़े की बुनाई और उसे पहनना सभी सामाजिक समूहों के लिए गरिमा का प्रतीक बन गया।

(साभारः IGNOU इकाई 5 स्वदेशी)

इस प्रकाश पर्व पर लें नेत्रदान करने का संकल्प

भारतीय पर्वों में दीपावली का पर्व अत्यंत उत्साह और धूम–धाम से मनाया जाता है। आज दीपावली का स्वरूप वैश्विक होता जा रहा है, क्योंकि भारतीय मूल के लोगों के साथ ये पूरे विश्व में ही अपना जलवा बिखेर रहा है। इसका स्वरूप ही ऐसा है कि इसमें रुचि न लेना असंभव है। साफ–सफाई और रंग–बिरंगी रोशनियाँ, किसे आकर्षित नहीं करेंगी? आज दुनिया के हर बड़े शहर में दीपावली पर भव्य मेले लगते हैं, जिनमें वहाँ के स्थानीय लोग भी बड़े उत्साह से सम्मिलित होते हैं। दीपावली को प्रकाशोत्सव कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि प्रकाश चाहे भौतिक जगत में हो अथवा हमारे अंतर्मन में, प्रकाश का इस पर्व में महत्त्वपूर्ण स्थान है। अंतर्मन का प्रकाश तो आनंदित करता ही है, भौतिक जगत का प्रकाश भी कम आनंदित नहीं करता। अंतर्मन का प्रकाश जहाँ सद्वृत्तियों द्वारा उत्पन्न एवं अनुभव किया जा सकता है, वहीं बाह्य जगत के प्रकाश को अनुभव करने के लिए चर्म चक्षुओं का होना अनिवार्य है। चर्म चक्षुओं के अभाव में प्रकाश ही नहीं सारे संसार का सौंदर्य निरर्थक है।

ये संसार बहुत सुंदर व आकर्षक है, लेकिन एक नेत्रविहीन व्यक्ति इस सुंदर व आकर्षक संसार के अद्वितीय व अपरिमित सौंदर्य का आनंद नहीं उठा सकता। इस संसार में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं, जो न केवल दीपावली के प्रकाश का आनंद नहीं उठा सकते, अपितु वे प्रकृति के किसी भी प्रकार के सौंदर्य को देखकर उससे आनंदित नहीं हो सकते। पूरा जीवन ही उनके लिए एक अंधकारमय दीर्घ रात्रि बनकर रह जाता है। यदि ऐसे लोग भी सामान्य लोगों की तरह ही इस सुंदर संसार को देखकर आनंदित हो सकें, तो कितना अच्छा हो! लेकिन ये तभी संभव है जब उनके नेत्रों की ज्योति लौट आए। लेकिन क्या ये संभव है? यदि संभव है, तो कैसे संभव है? हाँ ये संभव है, लेकिन तभी जब कोई अपने नेत्रों की ज्योति उन्हें भेंट कर दे। और इसको संभव बनाने के लिए मात्र एक संकल्प की आवश्यकता है। वह संकल्प है नेत्रदान का संकल्प। हमारे जीवन के बाद हमारी आँखें किसी दूसरे की आँखों को रोशन कर सकें, इसके लिए हमें नेत्रदान करने का संकल्प लेना होगा।

मरने के बाद प्रायः शरीर के अंगों का कोई उपयोग नहीं हो पाता। पार्थिव शरीर का दाह–संस्कार कर दिया जाता है अथवा उसे दफ्ना दिया जाता है। प्रायः कहा जाता है कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। ये शरीर भी साथ नहीं जाता। ऐसे में इस पार्थिव शरीर का सदुपयोग हो जाए तो क्या बुराई है? आँखें दान करने का संकल्प तो लीजिए, उसी से लगेगा कि मरने के बाद भी शरीर का सदुपयोग हो रहा है और बिलकुल खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। जिस दिन ऐसा करेंगे, जीवन अधिक उपयोगी और सार्थक लगने लगेगा। एक बेकार से बेकार अथवा नाकारा से नाकारा व्यक्ति भी नेत्रदान का संकल्प लेकर अपने जीवन को उपयोगी व सार्थक बना सकता है। सोचिए कितनी प्रसन्नता होगी उस व्यक्ति को, जब अपने जीवन की अंधकारमय दीर्घ रात्रि के पश्चात वो पहली बार इस संसार के अपरिमित सौंदर्य को देख पाएगा? क्या ये नेत्रदान करने का संकल्प लेने वाले के लिए कम प्रसन्नता की बात होगी? क्या ये किसी के अंतर्मन को आलोकित करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा?

यदि हम मरने के बाद अपनी आँखों को दान करने का संकल्प ले लें, तो हमारे ऊपर तो कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी की सूनी आँखें जीवनभर के लिए रौशन हो जाएँगी, उसका जीवन सुंदर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। प्रायः जब हमारे पास अधिक भोजन आदि होता है, तो हम उसको खराब होने से पहले किसी न किसी जरूरतमंद को दे देते हैं। यदि हम अपने नेत्रों को अंत्येष्टि के दौरान शरीर के साथ नष्ट हो जाने से पूर्व दान कर दें, तो किसी जरूरतमंद का जीवन सँवर सकता है। वो भी हमारी ही तरह इस

सुंदर संसार के सौंदर्य का आनंद उठा सकेगा। वो अपने आत्मीय जनों को स्पर्श करने के साथ–साथ उन्हें देखने का सुख भी पा सकेगा। क्योंकि जन्म से ही हमारी दो आँखें हैं, अतः उनके अभाव में जो पीड़ा होती है, हम उसे अनुभव नहीं कर सकते। जब जीवन में कभी भी किसी वस्तु अथवा स्थिति के अभाव का अनुभव हो, तो विचार कीजिए कि दो आँखों के अभाव में एक नेत्रहीन व्यक्ति कितनी विवशता, कितनी परवशता का अनुभव करता होगा। उस समय नेत्रदान करने जैसे एक नेक काम को करने का संकल्प लीजिए।

जहाँ तक दान की बात है, हर धर्म में दान के महत्त्व को स्वीकार किया गया है और नेत्रदान से बड़ा दान और क्या होगा? नेत्रदान का संकल्प लेना ही इस बात का प्रमाण है, कि हम सच्चे अर्थों में धार्मिक व्यक्ति हैं। महर्षि दधीचि ने राक्षसों का संहार करने के लिए अस्त्र बनाने के लिए, अपनी अस्थियों तक को दान कर दिया था। महर्षि दधीचि को अपनी अस्थियों का दान करने के लिए अपने जीवन का त्याग करना पड़ा था। नेत्रदान करने के लिए हमें जीवन का त्याग करने अथवा जीते जी अन्य कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। यह तो देहावसान के बाद ही संपन्न होने वाली क्रिया है। हमारे संकल्प के अनुसार, हमारे मरने के बाद हमारी आँखें किसी अन्य को प्रत्यारोपित कर दी जाएँगी। इससे अधिक महत्त्वपूर्ण क्या हो सकता है, कि हम वो चीज दान कर रहे हैं, जिसको नष्ट हो जाना है। अन्य किसी भी प्रकार का दान करने के लिए हमें किसी न किसी प्रकार का त्याग करना पड़ता है, लेकिन नेत्रदान करने के लिए हमें किसी भी प्रकार का त्याग नहीं करना पड़ता। नेत्रदान करने के लिए हमें उस चीज को देने का संकल्प मात्र करना होता है, जिसका हमारे या हमारे परिवार के लिए कोई मूल्य नहीं। हमारे विवेकपूर्ण संकल्प के कारण, ऐसी वस्तु जो हमारे लिए किसी काम की नहीं, लेकिन किसी अन्य का जीवन उजाले से भर दे, इससे अधिक प्रसन्नता की बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती।

यदि हम नेत्रदान का संकल्प लेते हैं तो हमें न केवल इस बात से संतुष्टि मिलेगी व उस संतुष्टि से प्रसन्नता होगी, कि हमारी आँखों से कोई अन्य भी देख सकेगा, अपितु हम अपने देहावसान के उपरांत भी इस सुंदर संसार को देखते रहने का अवसर पा सकेंगे। हमारा नेत्रदान का संकल्प इस सुंदर संसार को देखने की हमारी अवधि को बढ़ा देगा। कहा गया है कि यदि स्वयं प्रसन्न रहना है, तो दूसरों के जीवन में प्रसन्नता लाने का प्रयास कीजिए। जब हमारे चारों और प्रसन्नचित व्यक्ति होंगे, तो हमारी प्रसन्नता भी निश्चित हो जाएगी। यदि हम दूसरों के जीवन में रौशनी भरने का प्रयास करेंगे, तो हमारा अपना जीवन स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। प्रकाशोत्सव के अवसर पर दूसरों के जीवन को प्रकाशित करने का निर्णय लेना सचमुच बहुत बड़ी बात होगी। बाह्य अथवा कृत्रिम प्रकाश हमें केवल उतने समय तक आनंद प्रदान कर सकता है, जितने समय तक हम उसकी रौशनी में रहते हैं, लेकिन किसी दूसरे के जीवन में प्रकाश भर देने का संकल्प, जीवन भर हमारे अपने अंतर्मन को प्रकाशित करता रहेगा।

कुछ लोग कई गलतफहमियों के शिकार होते हैं, अतः नेत्रदान करने के लिए आगे नहीं आते। कुछ लोग इस अंधविश्वास के शिकार होते हैं, कि मरने के बाद किसी अंग के अभाव में अंतिम संस्कार करने पर उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा अथवा अगले जन्म में वे उस अंग से विहीन ही रहेंगे। यह अत्यंत भ्रामक सोच है। ऐसा कुछ नहीं होता। मोक्ष तो हमें उसी दिन मिल जाएगा, जिस दिन हम नेत्रदान जैसा महत्त्वपूर्ण व लोकोपयोगी संकल्प ले लेंगे। कहते हैं हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें अगला जन्म मिलता है। हम मनुष्य के अतिरिक्त किसी अन्य योनि में भी जन्म ले सकते हैं। मैं पुनर्जन्म में दृढ़तापूर्वक विश्वास नहीं करता, लेकिन नेत्रदान करने पर म्त्यु के उपरांत भी इस सुंदर संसार को अपनी आँखों से देखते रहने का अवसर मिलना, क्या मनुष्य के रूप में ही पुनर्जन्म से कम होगा? यदि हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, तो इतना तो अवश्य स्वीकार करेंगे, कि यदि हम नेत्रदान जैसा उत्कृष्ट दान करते हैं तो इस सद्कर्म के फलस्वरूप भी पुनर्जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लेने की संभावना भी अवश्य ही प्रबल हो जाएगी।

सीताराम गुप्ता, ए.डी. 106 सी., पीतमपुरा, दिल्ली – 110034 मोबा0 नं0 9555622323 Email : srgupta54@yahoo.co.in

हरकोफैड द्वारा सदस्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया

06 सितम्बर, 07 सितम्बर, 09 सितम्बर व 10 सितम्बर में गांव मकडौली खुर्द चमारिया डेयरी मदीना डेयरी भराण रोहमक में चार सदस्य जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया।

जिसमें शिक्षा अनुदेशक श्रीमती अर्चना देवी हरकोफैड रोहतक ने कार्यक्रम की शुरूआत करते हुए सदस्यों को सहकारिता की परिभाषा व सहकारिता के सिद्धान्त के बारे में विस्तार से बताया और हरकोफैड द्वारा चलाई ट्रैनिंग प्रोगाम का भी ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने बारे बताया इससे आप अपना काम शुरू करना है। जिन बहनों को सिलाई आती है वे एक समूह बना कर सैन्टर खोले और वहीं पर सिलाई का काम मिलजुल कर करे। आज देहात में टेलरों की बहुत अहमियत है। बेरोजगारी की लाईन में न खड़ा हो के अपना स्वयं का काम करो और औरा को भी काम दो व मोटा अनाज खाने में जवार, बाजरा, चना, रागी, कागनी आदि व इससे क्या फायदे है और आप लिया हुआ ऋण भी समय पर चुकाना चाहिए, सदस्यों ने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनते हुए बताया कि हां हमे समय पर ही ऋण चुकाना चाहिए लेकिन उन्होंने कहा कि जमा करवाने का एक नुकसान भी बताया कि हम तो जमा करवा देते है। मगर ऐसी कोई स्कीम आती है कि जिसने जमा नही करवाया उसको छूट मिल जाती है फिर जिसने जमा कराया उसका क्या, उसको कोई लाभ नही मिला, सदस्यों से बात करने के बाद पता लगा कि ये रिकवरी न होने का सबसे बडा कारण है।

श्रीमती मिथलेश जी, नेहरू युवा कल्ब की निदेशक, रोहतक ने अपने सम्बोधन में बताया कि कैसे 20 रूपये का प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना जिसकी अवधि 18 से 70 साल की है, साथ ही 436 रूपये का प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसकी अवधि 18 से 50 साल है, इनमें एक ध्यान से जानने की चीज जो कि अगर जून में बीमा करवाते है तो 436 रूपये लगेगे, सितम्बर में 342 रूपये, दिसम्बर में 228 व 31 मार्च तक 114 ही लगेगे। जे.एल.जी. के ग्रुप बनाये जाते है लोन किस प्रकार मिलता है और ग्रुप में काम करके हम किस प्रकार अपना स्वयं को रोजगार खडा कर सकते है, जिससे बहनें आत्मनिर्भर बन सकती है। हरकोफैड द्वारा चलाये कार्यक्रमों की सराहना करते हुए बताया कि हरकोफैड लगातार ग्रामीण इलाकों में जागरूकता कार्यक्रमों के द्वारा अपन सबको समाज में आगे बढ़ने व सिर उठाकर चलने व काम करने की प्रेरणा देता रहता है। आप सबकों इससे फायदा आत्मनिर्भर बनाना पडेगा। क्योंकि अपने रोजगार से हम दूसरे को रोजगार दे सकते है ना कि स्वयं ही बेरोजगारी की कतार में रहे। समाज सेविका होने के नाते कहा कि हरकोफैड तो आप के लिए बहुत कुछ कर रहा है में भी हर सम्भव आप की मदद के लिए तैयार हूँ आप आगे बढ़ो हम साथ है।

फसल उत्पादन में लेखा -जोखा का महत्व

नरेश कुमार, जसबीर सिंह एवं रमेश चंद्र वर्मा
कृषि विज्ञान केन्द्र, कैथल
चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

किसी भी व्यवसाय में सफलता के लिए अच्छे प्रबंधन का अहम योगदान है। चूंकि अधिकांश ग्रामीण जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खेती पर निर्भर करती है, परन्तु अधिकतर किसान खेती–बाड़ी में प्रबंधन के प्रति सचेत नही हैं। यदि किसान भाई कृषि में आय व व्यय का विवरण रखें तो उनके लिए यह बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है।

पहले खेती जीवन जीने का तरीका था, परन्तु अब तक एक व्यवसाय का रूप ले चुकी है। खेती में आधुनिकरण होने के साथ–साथ खेती पर खर्च बहुत अधिक बढ़ गया है। वर्तमान समय में जुताई व बुआई से लेकर फसल कटाई तक की नई मशीनों के आने से कृषि कार्य जितना आसान हो गया, उतना ही कृषि क्रियाए महंगी भी गई है। इसलिए इस महंगाई के दौर में किसानो द्वारा आमदनी व खर्च का लेखा–जोखा रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है।

लेखा-जोखा रखने के फायदे

1. खेती की आर्थिक अवस्था का आंकलन : लेखा–जोखा रखने से किसी भी समय किसान अपनी खेती–बाड़ी की आर्थिक अवस्था का आंकलन कर सकता है, जैसे कि अब तक कितना खर्च किया गया और कितना मुनाफा या नुकसान हुआ।

2. खेत का बेहतर प्रबंधन : खेती का लेखा–जोखा रखने से साधनों का सदुपयोग करने में किसानों को मदद् मिलती है। लेखा–जोखा रखने से यह पता जाता है कि कौन से संसाधनों का प्रयोग कब, कैसे और कितना करना है (संसाधन जैसे जमीन, पानी, मजदूर, खाद–बीज, कीटनाशक इत्यादि) जिससे किसान बहुत से फिजूल खर्चो से बच सकता है और संसाधनों के उचित प्रयोग से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है।

3. व्यवसाय चुनने में मदद : विभिन्न कृषि व्यवसायों जैसे फल–फूल, सब्जियों, पशु पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, मधुमक्खी पालन, मछली पालन, मशरूम उत्पादन इत्यादि की तुलनात्मक आय व व्यय मालूम करके कम फायदा देने वाले व्यवसाय या खर्चों को योजनापूर्वक कम किया जा सकता है।

4. अंतर विश्लेषण : व्यवसाय का पूरा लेखा–जोखा रखने से फार्म प्रबंधन में कमियों को ढूंढा जा सकता है तथा दूर किया जा सकता है। कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न फसलों की उन्नत सिफारिशों से तुलना करके तकनीक से सुधार कर सकते है।

5. फार्म योजनाओं का मूल्यांकन : पिछली फार्म योजनाओं का मूल्यांकन करके उनकी कमियों को दूर करके तथा भविष्य में लाभ उठाने के लिए अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन कार्य योजनाएं बनाई जा सकती हैं।

6. ऋण सुविधाओं का आधार : लेखा–जोखा रखने से किसान को यह पता चल जाता है कि कितना खर्च हो गया है तथा कितना और होना है। लेखा जोखा किसाना को ऋण सुविधाएं लेने का आधार प्रदान करता है।

सही शोध का आधार : कृषि वैज्ञानिक भी शोध कार्य के लिए सर्वेक्षण में किसानों से आकड़े एकत्रित करते हैं, खेती की आर्थिक स्थिति तथा सरकारी नीतियों का मूल्यांकन करते हैं। ऐसे सर्वेक्षणों में किसान प्रायः अपनी यादाश्त के आधार पर ही जानकारी देते हैं, जिससे सही परिणाम नही निकलते। लेकिन अगर सही सूचना लेखे–जोखे के आधार पर हो तो शोध परिणाम अच्छा/सही मिल सकता है। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि पद्धितियों में आधुनिकरण जैसे उत्तम बीज, संतुलित पोषक तत्व, उचित मात्रा में सिचांई तथा आधुनीकरण जैसे उत्तम बीज, संतुलित पोषक तत्व, उचित मात्रा में सिचांई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग, कीट–रोग व खरपतवार नियंत्रण के लिए दवाईयों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार किसान की प्रबंधन क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए लेखा–जोखा का बड़ा महत्व है। इससे किसानों का सही समय पर सही निर्णय लेने

में मदद मिलती है, जैस कि कौन सा उद्यम ज्यादा आवश्यक है तथा उसका कितना उत्पादन किया जाए, कैसे व्यवसाय को और अधिक लाभदायक बनाया जा सके।

लेखा-जोखा रखने में समस्याएं:

ज्यादातर किसान कृषि आमदनीव खर्च का लेखा–जोखा नही रखते जबकि छोटे व्यापारी व्यवसाय का लेखा–जोखा अवश्यक रखते हैं, जो उनके व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने में अहम भूमिका है। कृषि में लेखा–जोखा न रखने के मुख्य कारण निम्नलिखित है :

1. अधिकतर किसान पढ़े–लिखे नहीं है, जिसके कारण वे लेखा–जोखा रखने में असमर्थ हैं।
2. किसान जो पढ़े–लिखे हैं तो भी उनमें व्यावसायिक चेतना की कमी हैं, इसलिए वेलेखा–जोखा रखने में ज्यादा ध्यान नहीं देते।
3. बाजार में कृषि लेखा–जोखा पुस्तिका का न मिलना भी किसान द्वारा लेखा–जोखा न रखने का महत्वपूर्ण कारण है।
4. खेती–बाड़ी एक बहुत मेहनत वाला कार्य है। जिसमें किसान स्वयं ही मजदूर, प्रबंधक तथा मालिक का काम करता है।

सहकारी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट

दिनांक 19.09.2024 इफको फतेहाबाद द्वारा सहकारी कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉ. जागीर सिंह, गुणवता नियंत्रक अधिकारी, कृषि विभाग फतेहाबाद मौजूद रहे वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री बहादुर सिंह, उप क्षेत्रप्रबंधक इफको हरियाणा ने की। कार्यक्रम में रामलाल, आईएफएफडीसी, संदीप कुमार क्षेत्रीय अधिकारी, इफको फतेहाबाद तथा सुनील, टीएमई इफको एमसी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में संदीप कुमार ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों व पैक्स कार्यकर्ताओं का स्वागत किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री बहादुर सिंह ने इफको के उर्वरक पर निःशुल्क बीमा योजना तथा इफको के उत्पाद सागरिका, जैव उर्वरक एवं जल घुलनशील उर्वरकों के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की।

उन्होंने कहा कि नैनो उर्वरक के इस्तेमाल से किसानों को परम्परागत और व्यवसायिक खेती की लागत कम होगी और किसानों की आय में भी इजाफा होगा। इसके इस्तेमाल से किसानों के खेत की मिट्टी उपजाऊ होगी। कार्यक्रम में डॉ. जागीर सिंह ने सभी खाद विक्रेताओं को खाद लाइसेंस एवं पोश मशीनों के सही नियमों की जानकारी सांझा की तथा इफको के नवीनतम उत्पाद नैनो यूरिया तरल एवं नैनो डीएपी तरल के उपयोग हेतु सम्पूर्ण जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि नैनो यूरिया की 500 एमएल की एक बोतल दानेदार यूरिया के एक बैग (45 किलो) के बराबर कार्य करती है। क्योंकि इसका प्रयोग फसलों पर स्प्रे के रूप में किया जाता है, इसलिए इसकी प्रयोग क्षमता परम्परागत यूरिया से अधिक है। पौधे पत्तों व तने के माध्यम से इसको अवशोषित कर लेते हैं। यूरिया की तरह नैनो यूरिया भूमिगत जल, जमीन व वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 12 पैक्स के 60 से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया ।

खेत दिवस कार्यक्रम, गाँव कुलां, टोहाना

टोहाना : आज दिनांक 24.08.2024 को उर्वरक क्षेत्र की विश्व की सबसे बड़ी सहकारी संस्था इफको द्वारा गांव कुलां, टोहाना में नैनो उर्वरक जागरूकता अभिमान के अन्तर्गत खेत दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डा. देवीदयाल जी (उप महाप्रबंधक कृषि सेवाएं इफको) मौजूद रहे। कार्यक्रम में सुशील कुमार (क्षेत्रीय अधिकारी इफको टोहाना), कुलवंत सिंह जी (इफको डेलीगेट), सतपाल सिंह जी (इफको डेलीगेट), दीपक कुमार जी करनैल सिंह एवं 80 से अधिक किसानों ने भाग लिया। सर्वप्रथम श्री सुशील कुमार ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए भागीदारों का स्वागत किया व इफको द्वारा विश्व में सबसे पहले परम्परागत उर्वरकों के विकल्प के तौर पर तैयार किए गए नैनो उर्वरकों के कृषि में महत्व के बारे में किसानों को जागरूक करने का इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताया। कार्यक्रम में डॉ. देवीदयाल जी ने जैव उर्वरकों, जलघुनशील उर्वरकों, सागरिका के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा तथा किसानों को उनके उपयोग से होने वाले लाभ के बारे में अवगत कराया एवं इफको के नैनो उर्वरकों के उपयोग तथा लाभ के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा की। उन्होंने इफको के द्वारा क्षेत्र में स्प्रे हेतु उपलब्ध कराए गए ड्रोन के बारे में विस्तापूर्वक जानकारी दी। कार्यक्रम के अंत में करनैल सिंह जी ने सभी का धन्यवाद किया।

किसान दिवस कार्यक्रम की रिपोर्ट

दिनांक 20.09.2024 को गांव दोलतपुर, जिला फतेहाबाद मे इफको द्वारा किसान दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमे कुल 50 किसानों ने हिस्सा लिया। डा. संतोष, मृदा वैज्ञानिक, केवीके फतेहाबाद ने कार्यक्रम मे मुख्य अतिथि के रुप मे भाग लिया तथा कार्यक्रम में श्री संदीप कुमार, फिल्ड ओफिसर इफको फतेहाबाद, इफको एम सी से टीएमई श्री सुनील कुमार एंव श्री जतीन, एस. एफ. ए. इफको उपस्थित रहे।

सर्वप्रथम श्री संदीप कुमार ने कार्यक्रम का संचालन करते हुए भागीदारों का स्वागत किया व इफको द्वारा विश्व में सबसे पहले परम्परागत यूरिया के विकल्प के तौर पर तैयार किए गए नैनो यूरिया के कृषि में महत्त्व के बारे में किसानों को जागरुक करने का इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताया । कार्यक्रम में श्री संदीप कुमार ने इफको के जैव उर्वरक, जल घुलनशील उर्वरकों एवं सागरिका के बारे में सम्पूर्ण जानकारी साँझा की एवं इसके साथ बताया की नैनो उर्वरक इफको द्वारा एक नई खोज है जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि नैनो यूरिया का निर्माण नैनो तकनीक के आधार पर किया गया है। नैनो यूरिया की 500 एम एल की एक बोतल दानेदार यूरिया के एक बोरे (45 किलो) के बराबर कार्य करती है। और ये भी कहा कि क्योंकि इसका प्रयोग फसलों पर स्प्रे के रूप में किया जाता है, इसलिए इसकी प्रयोग क्षमता परम्परागत यूरिया से अधिक है। पौधे पत्तों व तने के माध्यम से इसको अवशोषित कर लेते हैं। यूरिया की तरह नैनो यूरिया भूमिगत जल, जमीन व वातावरण को प्रदूषित नहीं करता है। उन्होंने किसानों को इसके प्रयोग के बारे में अधिक से अधिक जागरुक करने की आवश्यकता पर बल दिया। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डा. संतोष ने आज के कार्यक्रम एवं इफको द्वारा समाज एवं कृषक कल्याण हेतू चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रशंसा की एंव बताया की मृदा एव जल परीक्षण का नमुना लेने की विधी से अवगत करवाया। इस अवसर पर इफको एम.सी के टीएमई सुनील कुमार ने विभिन्न पेस्टीसाइड उत्पादों के बारे मे किसानो को विस्तार से बताया तथा सभी भागीदारों का धन्यवाद अर्पित किया। इस अवसर पर किसान भागीदारों ने कार्यक्रम आयोजन हेतू इफको को धन्यवाद दिया।

विवेकानन्द के 'राष्ट्र निर्माण' पर विचार

–डॉ. श्रीप्रकाश मिश्रा

भारत भूमि पवित्र भूमि है, भारत देश मेरा तीर्थ है, भारत मेरा सर्वस्व है, भारत की पुण्य भूमि का अतीत गौरवमय है, यही वह भारतवर्ष है, जहां मानव प्रकृति एवं अन्तर्जगत के रहस्यों की जिज्ञासाओं के अंकुर पनपे थे।

स्वामी विवेकानन्द के इन शब्दों से भारत, भारतीयता और भारतवासी के प्रति उनके प्रेम उनके प्रेम, समर्पण और भावनात्मक संबंध स्पष्ट प्रिलखित होते हैं। विवेकानन्द को युवा सोच का संन्यासी माना जाता है। विवेकानन्द केवल आध्यात्मिक पुरूष नहीं थे वरन् वे विचारों और कार्यों से एक कांनिकारी संत थें, जिन्होंने अपने देश के युवकों का आह्वान किया था– उठो, जागो महान बनो। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि स्वामी विवेकानन्द ने ब्रिटिश शासन से भारत की स्वतंत्रता–प्राप्ति के लिए कभी भी प्रत्यक्ष रूप में प्रयत्न नहीं किए या यहाँ तक कि उस बारे में कभी बात भी नहीं की। यद्यपि यह बात सभी स्वीकार करते हैं कि भारत के प्रति जो अगाध् प्रेम स्वामी जी ने अन्य व्यक्तियों में संचारित किया था, वही स्वतंत्रता आन्दोलन की मुख्य प्रेरणा थी। नवजीवन प्रकाश कलकता से प्रकाशित भूपेन्द्र नाथ दत की पुस्तक 'पेट्रिओट प्रॉफिट स्वामी विवेकानन्द' में उलेख है कि अपनी फ्रांसीसी शिष्या जोसेफाईन मोक्लियान से स्वामी जी ने कहा कि क्या निवेदित जानती नहीं है कि मैनें स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया, किन्तु देश अभी तैयार नहीं है, इसलिए छोड़ दिया। देश भ्रमण के दौरान पूरे देश के राजओं को जोड़ने का प्रयत्न संभवतः स्वामी जी ने किया होगा। स्वामी विवकान की भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रत्यक्ष रूप से कोई भागीदारी नहीं भी पर फिर भी आजादी के आंदोलन के सभी चरणों में उनका व्यापक प्रभाव था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर विवेकानन्द का प्रभाव, फ्रांसीसी क्रांति पर रूसो के प्रभाव अथवा रूसी और चीनी क्रांतियों पर कार्ल मार्क्स के प्रभाव की तुलना में किसी भी तरह से कमतर नहीं था। कोई भी स्वतंत्रता आंदोलन व्यापक राष्ट्रीय चेतना की पृष्ठभूमि के बिना संभव नहीं है। सभी समकालीन स्त्रोतों से यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत में राष्ट्रीयता की भावना के जागरण में विवेकानन्द का सबसे सशक्त प्रभाव था। भगिनी निवेदिता के अनुसार, वह नींव के निर्माण में लगने वाले कार्यकर्ता थे। वास्तव में, जिस तरह रामकृष्ण बिना किसी पुस्तकीय ज्ञान के वेदांत के एक जीवंत प्रतीत थे। अल्मोड़ा में पुलिस विवेकानन्द की गतिविधियों राष्ट्रीय जीवन के प्रतीत थे। अंग्रेज पहले ही आशंकित हो चुके थे। अल्मोड़ा में पुलिस विवेकानन्द की गतिविधियों पर दृष्टि रख रही थी। 22 मई को श्रीमती एरिक हैमंड को भेजे अपने पत्र में भगिनी निवेदिता ने लिख, ''आज सुबह एक भिक्षु को यह चेतावनी मिली थी कि पुलिस अपने जासूसों के द्वारा स्वामी जी पर दृष्टि रख रही है निः संदेह हम सामान्य रूप से इस बारे में जानते हैं। किंतु अब यह और स्पष्ट हो गया है और इसे अनदेखा नहीं कर सकती, यद्यपि स्वामी जी इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। सरकार अवश्य ही मूर्खता कर रही है या कम से कम जब ऐसा स्पष्ट हो जाएगा, यदि वह उनसे उलझेगी। वह पूरे देशको जगाने वाली मशाल होगी और मैं इस देश में जीने वाली अब तक कि सबसे निष्ठावान अग्रेज महिला..... उस मशाल से जागने वाली पहली महिला होऊँगी। हम स्वामी जी के शब्दों को प्रभाव कुख्यात विद्रोह कमेटी की रिपोर्ट में देख सकते हैं। यह कहती है, उसके (स्वामी विवेकानंद के) लेखों और शिक्षाओं ने अनेक सुशिक्षित हिन्दुओं पर गहरी छाप छोड़ी है। ब्रिटिश सीआईडी जहाँ भी किसी क्रांतिकारी के घर की तलाशी लेने जाया करती थी, वहां उनको विवेकानन्द जी की पुस्तकें मिलती थी। प्रसिद्व देशभक्त क्रांन्किारी ब्रहमबांधव उपाध्याय और अश्निनी कुमार दत्त से चर्चा के दौरान हेमचन्द्र घोष ने सन् 1906 में टिप्पणी, 'मुझे अच्छी तरह याद है कि स्वामी जी ने मुझे बंगाली युवाओं की अस्थियों से एक ऐसा शक्शिाली हथियार बनाने को कहा था, जो भारत को स्वतंत्र करा सकें।' अपनी प्रेरणादायी रचना, 'द रोल ऑफ ऑनर एनेक्डोट ऑफ इंडियन मार्टियर्स' में कालीचरण घोष बंगाल के युवा क्रांतिकारी के मन पर स्वामी जी के प्रभाव के बारे में लिखते है, स्वामी जी के सन्देश ने बंगाली युवाओं के मनों को ज्वलंत राष्ट्र–भक्ति की भावना से भर दिया और उनमें से कुछ से कठोर राजनैतिक गतिविधि की प्रवृति उत्पन्न की। स्वामी विवेकानंद के देहांत से पूर्व देश उन संगठनों के महत्व के प्रति जागरूक हो गया था जो बड़े पैमाने पर शारीरिक उन्नति, खेल, तलवारबाजी, कृपाण और लाठी के खेल, समाज–सेवा, राहत कार्य आदि करते थे। सन् 1902 तक ऐसे संगठन उभर आए थे, जिनमें प्रखर राष्ट्रवाद के साथ ही 'एक आध्यात्मिक भावना' भी थी, जैसे सतीश मुखर्जी और पी. मित्रा के नेतृत्व में अनुशीलन समिति।' स्वामी विवेकानन्द के बौद्धिक जगत में तैयार किए विक्षोभ के वातावरण के विस्फोट का आभास उनके देहांत के बाद बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन के नेता के रूप में श्री अरविंद के उद्धव के तौर पर सामने आया। भगिनी निवेदिता ने स्वामी विवेकानन्द के देशभक्ति और राष्ट्र निमार्ण के आदर्शो को एक आधरभूत संबंल प्रदान किया।

मिश्रित मोटे अनाज पर आधारित पारंपरिक एवं पौष्टिक व्यंजन

सदियों से पौष्टिक अनाज (मिलेट्स), भारत के मुख्य भोजन के रूप में रहे हैं व हमारे पूर्वजों और वर्तमान पीढ़ी इन मिलेट्स के प्रयोग से स्वास्थ्य लाभ भी उठा रही है। विश्व स्पर पर, भारत मिलेट्स का सबसे बड़ा उत्पादक हैं। जो विश्व मिलेट्स उत्पादन का लगभग 41 प्रतिशत है। बाजरा, रागी, ज्वार, कांगनी, कोदो इत्यादि सभी मिलेट्स का प्रयोग हम हमारे भोजन में करते हैं। मिलेट्स के नियमित उपयोग से यह पाया गया है कि विभिन्न बीमारियों : जैसे कि उच्च शर्करा, उच्च रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल, अनिद्रा, कब्ज, वजन घटाने में, एथेरोस्क्लेरोसिस आदि के रोकथाम में लाभदायक हैं। भारत में चावल और गेहूं के बाद मिलेट्स खाद्यान की टोकरी में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। प्रोटीन, ऊर्जा, विटामिन और खनिजों के मामले में मिलेट्स प्रमुख अनाजों से पोषध की दृष्टि से बेहतर व अतुलनिय है। इसके अलावा मिलेट्स फाइबर, फाइटोरसायन और न्यूटास्यूटिकल्स का भी समृद्धि स्त्रोत है। इसलिए इसे पोषक अनाज कहा जाता है। मिलेट्स विशेष खाद्य पदार्थों की श्रेणी में आते हैं, जिनसे पोषण और स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं। इनके नियमित प्रयोग से हम हमारे भोजन में विभिन्नता ला सकते है।

मिश्रित मोटे अनाज पर आधारित पारंपरिक एवं पौष्टिक व्यंजन बनते हैं, जैसे कि 1. मल्टी मिलेट् रोटी 2. मल्टी मिलेट् चूरमा 3. मल्टी मिलेट् सुहाली 4. मल्टी मिलेट् खिचड़ी 5. मल्टी मिलेट् लापसी एवं 6 मल्टी मिलेट् हलवा

मल्टी मिलेट् रोटी सामग्री -

बाजरे का आटा : 50 ग्रा.
राागी का आटा : 30 ग्रा.
कांगनी का आटा : 20 ग्रा.
पानी : आटा गूंधने के लिए पकाए
नमक : 1/4 छोटा चम्मच

विधि : 1. बाजरा, रागी और कांगनी के आटे को छान लें और नमक मिलाएं।
2. पानी मिलाकर आटा गूंथ लें।
3. आटे की लोइया बना कर अपनी हथेलियों से इसे रोटी का आकार दे। या फिर थोड़ा सूखा आटा लगा कर रोटी के आकार में बेल लें।
4. रोटी को दोनों ओर से तवे पर पकाएं।

मिल्टिमिलेट् चूरमा सामग्री :

बाजरे का आटा : 50 ग्रा.
रागी का आटा : 30 ग्रा.
कांगनी का आटा : 20 ग्रा.
घी : 60 ग्रा. बूरा : 50 ग्रा.
मेवे : 20 ग्रा. पानी : आटा गूंथने के लिए
नमक : छोटा चम्मच

विधि : 1. बाजरा, रागी ओर कांगनी के आटे को छान लें। नमक डालें।
2. पानी डाल कर आटा गूंथ लें ओर रोटी बेल कर दोनों तरफ से सेक लें।
3. गरम रोटियों को मसल लें और गरम पिघला हुआ घी और बूरा मिला दें
4. इस मिश्रण को अच्छी प्रकार मिलाकर परोसें।

मल्टिमिलेट् सुहाली सामग्री :

बाजरे का आटा : 30 ग्रा.
गेहूँ का आटा : 50 ग्रा.
रागी का आटा : 10 ग्रा.
कांगनी का आटा : 10 ग्रा.
घी (मोयन के लिए) : 20 ग्रा.
चाशनी के लिए –
गुड़ : 50 ग्रा. पानी : 50 मि. ली.
तेल : तलने के लिए,

विधि - 1. बाजरा, गेहूँ, रागी और कांगनी के आटे को छान लें।
2. पानी में गुड़ डालकर चाशनी बनाएं।
3. आटे में घी डालकर चाशनी से कड़ा आटा गूंथें ले।
4. आटे की छोटी–छोटी गोलियां बना लें और बेलन से 1/4 इंच मोटाई में बेलें।
5. सुनहरा भूरा होने तक कढ़ाई में तेल में तलें।

मल्टिमिलेट् खिचड़ी सामग्री -

बाजरा : 50 ग्रा. रागी : 25 ग्रा.
चने की दाल : 25 ग्रा.
पानी : 400 मि.ली. घी : 20 ग्रा.
नमक : स्वाद अनुसार।

विधि – 1. बाजरे और रागी को अच्छी तरह से साफ करें और फिर धो लें।
2. छिलका उतारने के लिए बाजरे और रागी को कुछ देर ठण्डे पानी में छोड़ दें।
3. बाजरे और रागी को कूट कर उसका छिलका उतार लें।
4. चने की दाल को पानी से धोकर 2 घण्टे के लिए भीगो दें।
5. पतीले में पानी डालें और उबलने पर मिलेट्स और भीगी हुई चने की दाल मिला दें।
6. इसमें नमक डाल कर अच्छी प्रकार से मिला दें और धीमी आँच पर गलने तक पका लें।

मिल्टिमिलेट लापसी सामग्री -

गेहूँ का आटा : 40 ग्रा.
बाजरे का आटा : 30 ग्रा.
रागी का आटा : 20 ग्रा.
कांगनी का आटा : 10 ग्रा.
चाश्नी का लिए –
गुड़ : 80 ग्रा.
पानी : 200–300 मि. ली.
घी : 50 ग्रा.

विधि – 1. एक पैन में गेहूं, बाजरा, रागी और कांगनी का आटा मध्यम भूरा होने तक भूने।
2. गुड़ और पानी से चाश्नी बनाएं।
3. भूने हुए मिश्रण में चाशनी सावधानी से डाले और लगातार हिलाते रहे ताकि गुठलियाँ न पड़े।
4. आंच धीमी करें और गाढ़ी होने तक पकाएं। घी डालें और इसे गर्मागर्म परोसे।

मल्टिमिलेट् हलवा सामग्री -

बाजरे का आटा : 50 ग्रा.
रागी का आटा : 30 ग्रा.
कांगनी का आटा : 20 ग्रा.
घी : 60 ग्रा.
चाशनी के लिए –
चीनी : 80 ग्रा. पानी : 200 मी.ली.
मेवे : इच्छानुसार

विधि – 1. बाजरा, रागी और कांगनी के आटे को मोटे तले वाले सूखे कढ़ाई में घी में हल्का सुनहरा भूरा होने तक पकाएं।
2. चाशनी तैयार करें और भुने हुए आटे में मिला दे। 3. मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक वह कढ़ाई के किनारे न छोड़ने लगे। 4. मेवे डालें और परोसें।

आशा कवात्रा, वीनू सांगवान एवं आँचल खाद्य एवं पोषण विभाग, चौ. चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

IFFCO
पूर्णतः सहकारी स्वामित्व
Wholly owned by Cooperatives
इफको नैनो यूरिया एवं
इफको नैनो डीएपी का वादा,
उपज अधिक और लाभ ज्यादा
500 मिली
₹600/- में
500 मिली
₹225/- में
NANO
DAP
Nano Di Ammonium Phosphate
LIQUID (8:16:0)
CROP NUTRITION REDEFINED
Seed Primer | Growth Enhancer | Yield Booster
Less Cost, More Profits
NANO
UREA
LIQUID (4% N w/v)
CROP NUTRITION REDEFINED
One Bottle is Equal to One Bag of Urea
Less Cost, More Profits
अधिक जानकारी के लिए निकटतम सहकारी समिति या इफको किसान सेवा केंद्र से सम्पर्क करें।
आज ही ऑर्डर करें : www.iffcobazar.in
आर्डर करने के लिए
स्कैन करें

गुजरात राज्य सहकारी संघ, अहमदाबाद के कार्यालय की बैठक में हिस्सा लेती हरकोफैड की प्रबन्ध निदेशक श्रीमती सुमन बल्हारा को सम्मान देते गुजरात राज्य सहकारी संघ, अहमदाबाद के अध्यक्ष श्री. घनश्याम एच. अमीन।

पिंजौर राजकीय माध्यमिक विद्यालय के छात्र–छात्राओं को सहकारी समितियों का भ्रमण करवाती हरकोफैड पंचकूला की शिक्षा प्रशिक्षक श्रीमती निधि मलिक।

हरियाणा राज्य सहकारी विकास फैडरेशन की ओर से सौरव शर्मा संपादक द्वारा हरियाणा सहकारी प्रैस 165–166, इंडस्ट्रियल एरिया, फेस–1, चण्डीगढ़ से मुद्रित व प्रकाशित तथा कार्यालय बेज नं. 49–52, प्रथम तल, सेक्टर–2, पंचकूला ।
दूरभाष : 0172–2560340, 2560332 हरकोप्रैस : 0172–2637264